22.03.24

पत्रावली पेश हुई कोई उपस्थित नहीं आया।
बाहर आए आवाजें लगाने के बावजूद कोई
उपस्थित नहीं आया तो पत्रावली अवर शाखा
अवर बोर्ड में जारी की जाती तथा रजिस्टर
से कटे।

आदेश सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)